

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 07, बुधवार, शाके 1947- अक्टूबर 29, 2025 Kartika 07, Wednesday, Saka 1947- October 29, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 17, 2025

जी.एस.आर.89 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के राजपत्रित कर्मचारियों हेतु नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

भाग-1

साधारण

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (राजपत्रित कर्मचारी) सेवा नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.-** जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,-

(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है;

(ख) “बोर्ड” से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) “आयोग” से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(घ) “समिति” से नियम 9 में निर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है;

(ङ) “सरकार” से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(च) “सेवा का सदस्य ” से इन नियमों या इन नियमों द्वारा अतिष्ठित नियमों या आदेशों के उपबंधों के अधीन नियमित चयन के आधार पर सेवा में के किसी पद पर नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(छ) “सेवा” से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सेवा अभिप्रेत है;

(ज) “राज्य” से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(झ) “अनुसूची” से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ज) “सेवा” या “अनुभव” जहां कहीं भी इन नियमों में, उच्चतर पद (पदों) पर पदोन्नति के लिए पात्र किसी निम्नतर पद (पदों) धारण करने वाले व्यक्ति की दशा में, एक सेवा से दूसरी सेवा में या सेवा के भीतर एक प्रवर्ग से दूसरे प्रवर्ग में या वरिष्ठ पद (पदों) पर पदोन्नति के लिए एक शर्त के रूप में विहित हो, उसमें ऐसी कालावधि सम्मिलित होगी, जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् ऐसे निम्नतर पद (पदों) पर निरन्तर कार्य किया हो।

टिप्पण: सेवा के दौरान की ऐसी अनुपस्थिति उदाहरणार्थ प्रशिक्षण, छुट्टी और प्रतिनियुक्ति इत्यादि, जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन “ड्यूटी” के रूप में मानी जाती है, पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव या सेवा की संगणना करने के लिए सेवा के रूप में भी गिनी जायेगी;

(ट) “अधिष्ठायी नियुक्ति ” से इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन के पश्चात् किसी अधिष्ठायी रिक्ति पर इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गयी नियुक्ति अभिप्रेत है और इसमें परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रूप में की गयी कोई नियुक्ति सम्मिलित है जिस पर परिवीक्षाकाल की समाप्ति के पश्चात् स्थायीकरण किया जाता हो;

टिप्पण: इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक् चयन में अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के सिवाय, या तो सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गयी, या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित किन्हीं भी नियमों के उपबंधों के अनुसार की गयी, भर्ती सम्मिलित होगी;

(ठ) “सचिव” से इस प्रकार उस रूप में नियुक्त व्यक्ति और इसमें बोर्ड के सचिव के कर्तव्यों का तत्समय निर्वहन करने वाला व्यक्ति सम्मिलित है; और

(ड) “वर्ष ” से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

3. **निर्वचन.**- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

भाग-2

संवर्ग

4. **सेवा की संरचना और उसमें पदों की संख्या.**- (1) सेवा में सम्मिलित पदों का स्वरूप ऐसा होगा जो अनुसूची के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा विनिर्दिष्ट है।

(2) सेवा में के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये:

परन्तु सरकार,-

(क) आवश्यक पाये जाने पर, किसी भी स्थायी या अस्थायी पद (पदों) का, समय-समय पर सृजन कर सकेगी और किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना ऐसे किसी पद को उसी रीति से समाप्त या व्यपगत होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी।

(ख) किसी व्यक्ति को किसी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना किसी स्थायी या अस्थायी पद को समय-समय पर रिक्त या प्रास्थगित रख सकेगी।

5. **सेवा का गठन.**- सेवा निम्नलिखित से गठित होगी,-

(क) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों को अधिष्ठायी रूप से धारण करने वाले समस्त व्यक्ति; और

(ख) नियम 14 के अधीन किसी अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति को छोड़कर, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गए समस्त व्यक्ति।

भाग-3

भर्ती

6. **भर्ती की रीति.**- (1) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् सेवा में भर्ती इन नियमों के भाग-4 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

(2) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी आपात के दौरान थल सेना/वायुसेना/नौसेना में पदग्रहण करने वाले किसी व्यक्ति की भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता और स्थायीकरण आदि ऐसे आदेशों और अनुदेशों द्वारा विनियमित होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें, बशर्ते कि इन्हें भारत सरकार द्वारा इस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किया जाये।

7. **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.**- (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, भर्ती के समय अर्थात् सीधी भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वारा राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीओं और राज्या के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008 के अनुसार किया जायेगा।

(2) पदोन्नति के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां वरिष्ठता-सह-योग्यता तथा योग्यता द्वारा भरी जायेंगी।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ऐसे पात्र अभ्यर्थियों पर, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं, अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका कौनसा रैंक है, इस पर ध्यान न देते हुए नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम, सीधी भर्ती के लिए आयोग/बोर्ड या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा और पदोन्नति के मामले में विभागीय पदोन्नति समिति या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार की गयी सूची में दिये गये हैं।

(4) नियुक्ति सर्वथा सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए पृथक रूप से विहित रोस्टरों के अनुसार ही की जायेगी।

(5) किसी वर्ष-विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्पूर्वी तीन भर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्ष के अवसान के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी:

परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती आयोजित नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध

रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्पूर्व वर्षों में उपलब्ध हो।

(6) किसी वर्ष-विशेष में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जायेगा जब तक अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों का/के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाता है/जाते हैं। किन्हीं भी परिस्थितियों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी से नहीं भरी जायेगी। आपवादिक मामलों में, जहां नियुक्ति प्राधिकारी लोकहित में यह महसूस करे कि रिक्त आरक्षित पद (पदों) को अर्जेंट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से पदोन्नति द्वारा भरना आवश्यक है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी कार्मिक विभाग को निर्देश कर सकेगा और कार्मिक विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अर्जेंट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को पदोन्नत करके ऐसे पद (पदों) को पदोन्नति आदेश में यह स्पष्ट उल्लिखित करते हुए भर सकेगा कि सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को, जिन्हें अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के लिए आरक्षित रिक्त पद के प्रति अर्जेंट अस्थायी आधार पर पदोन्नत किया जा रहा है, जब कभी भी उस प्रवर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध हो, वह पद रिक्त करना होगा:

परन्तु सेवा के किसी संवर्ग के पद या पदों के वर्ग/प्रवर्ग/समूह की रिक्तियों को वहां अग्रणीत नहीं किया जायेगा, जहां पदोन्नतियां इन नियमों के अधीन केवल योग्यता के आधार पर की जाती हैं।

8. रिक्तियों का अवधारण.- (1) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को अवधारित करेगा।

(2) बोर्ड, पूर्वतर वर्षों की रिक्तियों को भी, जिन्हें पदोन्नति द्वारा वर्ष-वार भरा जाना अपेक्षित था, अवधारित करेगा यदि, ऐसी रिक्तियां पहले अवधारित न की गयी हों और उस वर्ष में, जिसमें उनका भरा जाना अपेक्षित था, भरी न गयी हों।

भाग-4

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

9. विभागीय पदोन्नति समिति का गठन.- समिति का गठन निम्नानुसार होगा:-

(i)	आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य	अध्यक्ष
(ii)	कार्मिक विभाग का प्रमुख शासन सचिव या उसका प्रतिनिधि जो कार्मिक विभाग के शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का ना हो	सदस्य
(iii)	बोर्ड का सचिव	सदस्य सचिव

परन्तु यदि समिति के गठन में सम्मिलित कोई अधिकारी संबंधित पद पर नियुक्त नहीं किया गया है तो उस पद का तत्समय प्रभार धारण करने वाला अधिकारी समिति का सदस्य या, यथास्थिति, सदस्य-सचिव होगा।

10. पदोन्नति के लिए कसौटी, पात्रता और प्रक्रिया.- (1) इन नियमों के नियम 8 के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी जैसे ही रिक्तियों की संख्या अवधारित करे और यह विनिश्चित करे कि कतिपय संख्या में पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने अपेक्षित हैं तो वह उप-नियम (6) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे वरिष्ठतम

व्यक्तियों की सही एवं पूर्ण सूची तैयार करेगा, जो वरिष्ठता-सह-योग्यता या संबंधित पदों के वर्ग की योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए इन नियमों के अधीन पात्र और अर्हित हैं।

(2) सुसंगत अनुसूची के, जिस पद से पदोन्नति की जानी है उससे संबंधित सुसंगत स्तंभ में प्रगणित व्यक्ति, चयन वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को उनके द्वारा पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव से संबंधित स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हता और अनुभव रखने के अध्यधीन रहते हुए स्तंभ 3 में उपदर्शित सीमा तक उसके स्तम्भ 2 में उनके सामने विनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

(3) सेवा में किसी भी व्यक्ति की प्रथम पदोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उस पद पर, जिससे पदोन्नति की जानी हो, इन नियमों के उपबंधों के अधीन विहित भर्ती की किसी एक रीति के अनुसार नियमित रूप से चयनित न हुआ/हुई हो।

स्पष्टीकरण: यदि किसी वर्ष-विशेष में पदोन्नति द्वारा नियमित चयन के पूर्व किसी पद (पदों) पर सीधी भर्ती कर ली गयी हो तो ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए भी विचार किया जायेगा जो भर्ती की दोनों रीतियों से उस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं या थे और जो पहले सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये हैं।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति जिसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संताने थी और उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, विचार किया जायेगा और उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा किंतु वह तीन पश्चात्पूर्वी वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु, काल्पनिक रूप से हकदार होगा/होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुभूत होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा। इस उप-नियम के उपबंधों के अनुसार पदोन्नत व्यक्ति की पश्चात्पूर्वी पदोन्नतियों पर कोई पारिणामिक प्रभाव नहीं पड़ेगा:

परन्तु,-

- (i) दो से अधिक संतानों वाला व्यक्ति पदोन्नति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को थी, बढ़ोतरी नहीं होती है।
 - (ii) जहां किसी व्यक्ति के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है, किन्तु पश्चात्पूर्वी किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।
 - (iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो;
 - (iv) ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन पदोन्नति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।
- (5) सेवा में सम्मिलित पद (पदों) पर पदोन्नति के लिए चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर किया जायेगा:

परन्तु,-

- (i) उप सचिव (परीक्षा)/उप सचिव/परीक्षा नियंत्रक के पद पदोन्नति द्वारा सहायक सचिवों और निजी सचिवों में से 3:1 के अनुपात में भरे जायेंगे।
- (ii) उप सचिवों के पद पर पदोन्नति के प्रयोजन के लिए सहायक सचिवों और निजी सचिवों की पृथक् वरिष्ठता सूची तैयार की जायेगी।

- (iii) राज्य सेवा में के उच्चतम पद पर पदोन्नति, यदि यह कम से कम तीसरी पदोन्नति है, केवल योग्यता के आधार पर ही की जायेगी।
- (iv) यदि समिति का यह समाधान हो जाता है कि किसी वर्ष-विशेष में सर्वथा योग्यता के आधार पर उच्चतम पद (पदों) पर पदोन्नति द्वारा चयन के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो पद (पदों) पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा चयन उसी रीति से किया जा सकेगा जो इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट है।
- (6) पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों के संबंध में विचार की संख्या-सीमा निम्नलिखित होगी:-
- (i)
- | | |
|----------------------------------|---|
| रिक्तियों की संख्या | विचार किये जाने वाले पात्र व्यक्तियों की संख्या |
| (क) एक रिक्ति के लिए | पांच पात्र व्यक्ति |
| (ख) दो रिक्तियों के लिए | आठ पात्र व्यक्ति। |
| (ग) तीन रिक्तियों के लिए | दस पात्र व्यक्ति। |
| (घ) चार या अधिक रिक्तियों के लिए | रिक्तियों की संख्या का तीन गुना। |
- (ii) जहां उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या ऊपर विनिर्दिष्ट संख्या से कम हो वहां इस प्रकार पात्र समस्त व्यक्तियों के बारे में विचार किया जायेगा।
- (iii) जहां अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में ऊपर विनिर्दिष्ट विचार की संख्या-सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं हों वहां विचार की संख्या-सीमा, रिक्तियों की संख्या के सात गुना तक बढ़ायी जा सकेगी और इस प्रकार बढ़ायी गयी विचार की संख्या-सीमा के भीतर आने वाले अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों (कोई अन्य नहीं) के अभ्यर्थियों पर भी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति विचार किया जायेगा।
- (iv) इन नियमों या इन नियमों से संलग्न अनुसूची में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सेवा में के किसी पद के लिए,-
- (क) यदि पदोन्नति वेतन मैट्रिक्स में समान लेवल में एक से अधिक पद-प्रवर्गों में से होनी हो तो, वेतन मैट्रिक्स में समान लेवल में के पदों के प्रत्येक प्रवर्ग से संख्या में दो तक पात्र व्यक्तियों पर पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।
- (ख) यदि पदोन्नति वेतन मैट्रिक्स में भिन्न-भिन्न लेवल वाले एक से अधिक पद-प्रवर्गों में से होनी हो तो वेतन मैट्रिक्स के उच्चतर लेवल में के पात्र व्यक्तियों पर पदोन्नति के लिए पहले विचार किया जायेगा और यदि वेतन मैट्रिक्स के उच्चतर लेवल में योग्यता या, यथास्थिति, वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर कोई उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं हो केवल तब ही वेतन मैट्रिक्स में निम्नतर लेवल में के अन्य पद-प्रवर्गों के पात्र व्यक्तियों की पदोन्नति पर विचार किया जायेगा और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा। इस मामले में पात्रता के लिए विचार की संख्या-सीमा सब में पांच वरिष्ठतम पात्र व्यक्तियों तक ही सीमित रहेगी।
- (7) इस नियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें, समिति का गठन और चयन के लिए प्रक्रिया वही होगी जो इन नियमों में अन्यत्र यथा विहित हैं।
- (8) समिति, ऐसे समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो इन नियमों के अधीन संबंधित पद (पदों) के वर्ग में पदोन्नति के लिए पात्र और अर्हित हैं और इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर उपयुक्त पाये गये

व्यक्तियों के नाम अन्तर्विष्ट करते हुए, इन नियमों के अधीन अवधारित रिक्तियों की संख्या के बराबर, नामों की एक सूची तैयार करेगी। वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर और/या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची, पद (पदों) के उस प्रवर्ग के वरिष्ठता क्रम में व्यवस्थित की जायेगी, जिसमें से चयन किया गया है।

(9) समिति, इन नियमों में अधिकथित पदोन्नति की कसौटी के अनुसार, वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर एक सूची भी तैयार कर सकेगी जिसमें अस्थायी या स्थायी रिक्तियों को, जो बाद में आयी हों, भरने के लिए उपर्युक्त उप-नियम (8) के अधीन तैयार की गयी सूची में चयनित व्यक्तियों की संख्या से अनधिक व्यक्तियों के नाम अंतर्विष्ट होंगे। वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर या, यथास्थिति, योग्यता के आधार पर इस प्रकार तैयार की गयी सूची पद के उस प्रवर्ग में, जिसमें से चयन किया गया है, वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी। ऐसी सूची को उस समिति द्वारा पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित किया जायेगा जिसकी बैठक पश्चात्पूर्व वर्ष में हो और ऐसी सूची, ऐसे वर्ष के अंतिम दिन तक जिसके लिए विभागीय समिति की बैठक की गयी, प्रवृत्त रहेगी।

(10) उप-नियम (8) और (9) के अधीन तैयार की गयी सूचियां, उनमें सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के और ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के जिनका चयन नहीं किया गया हो, यदि कोई हो, के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों/वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन और अन्य सेवा अभिलेखों के साथ, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेंगी ;

स्पष्टीकरण: योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन के प्रयोजन के लिए, किसी भी व्यक्ति का चयन नहीं किया जायेगा यदि उसका उस वर्ष से, जिसके लिए समिति की बैठक आयोजित की गयी है, पूर्ववर्ती सात वर्षों में से कम से कम चार वर्ष का अभिलेख “उत्कृष्ट” या “बहुत अच्छा” न हो।

(11) इन नियमों के प्रख्यापन के पश्चात्, यदि किसी पश्चात्पूर्व वर्ष में, किसी पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित रिक्तियां, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, इन नियमों के अधीन अवधारित की जाती हैं तो समिति उस वर्ष, जिसमें समिति की बैठक आयोजित की जाती है, का विचार किये बिना ऐसे समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो उस वर्ष में, जिससे रिक्तियां संबंधित हैं, पात्र होते और ऐसी पदोन्नतियां उस वर्ष-विशेष में, जिससे ऐसी रिक्तियां संबंधित हैं, पदोन्नति के लिए लागू कसौटी और प्रक्रिया द्वारा विनियमित होंगी और इस प्रकार पदोन्नत किये गये किसी पदधारी की सेवा/अनुभव की ऐसी कालावधि को, जिसके दौरान उसने ऐसे पद के कर्तव्यों का वास्तव में पालन नहीं किया है, जिस पर उसे पदोन्नत किया गया होता, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए गिना जायेगा। इस प्रकार पदोन्नत किये गये व्यक्ति का वेतन ऐसे वेतन पर पुनःनियत किया जायेगा जो वह अपनी पदोन्नति के समय प्राप्त कर रहा होता/होती किन्तु वेतन का कोई भी बकाया उसे अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(12) सरकार या, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी, अभिलेख को देखने से ही प्रकट किसी भूल या गलती के कारण या समिति के विनिश्चय को सारवान् रूप से प्रभावित करने वाली किसी तथ्यात्मक गलती के कारण या किन्हीं भी अन्य पर्याप्त कारणों से उदाहरणार्थ वरिष्ठता में परिवर्तन, रिक्तियों का गलत अवधारण, किसी भी न्यायालय या अधिकरण का निर्णय/निदेश या जहां किसी व्यक्ति के गोपनीय प्रतिवेदन में की प्रतिकूल प्रविष्टियों को निकाल दिया गया है या उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है, या उसे दिया गया दण्ड अपास्त या कम कर दिया गया है, पूर्व में हुई समिति की कार्यवाहियों के पुनर्विलोकन के लिए आदेश दे सकेगा। पुनर्विलोकन समिति की बैठक आयोजित किये जाने के पूर्व कार्मिक विभाग की और आयोग (जहां आयोग सहबद्ध हो) की सहमति सदैव प्राप्त की जायेगी।

(13) जहां आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो, वहां समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके नामों पर समिति द्वारा विचार किया गया है, वैयक्तिक पत्रावलियों और वार्षिक गोपनीय पंजियों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों सहित, आयोग को अग्रेषित की जायेंगी।

(14) आयोग, समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियों, साथ ही नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त अन्य सुसंगत दस्तावेजों पर विचार करेगा और जब तक उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक न समझा जाये, सूचियों का अनुमोदन करेगा। यदि आयोग नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त सूचियों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह अपने द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देगा। आयोग की टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी उन सूचियों का ऐसे उपान्तरणों सहित, जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हों, अंतिम रूप से अनुमोदन कर सकेगा और जब नियुक्ति प्राधिकारी सरकार का कोई अधीनस्थ प्राधिकारी हो तो आयोग द्वारा अनुमोदित सूचियों में हेरफेर सरकार के अनुमोदन से ही किया जायेगा।

(15) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्तियां पूर्ववर्ती उप-नियम (14) के अधीन अंतिम रूप से अनुमोदित सूचियों में के व्यक्तियों में से उसी क्रम में की जायेंगी जिस क्रम में उन्हें सूचियों में रखा गया है, जब तक कि ऐसी सूचियां निःशेष या पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित न हो जायें या, यथास्थिति, प्रवृत्त न रह जायें।

(16) सरकार, ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नतियों, नियुक्तियों या अन्य आनुषंगिक मामलों में साम्यापूर्ण और उचित रीति से अनंतिम तौर पर संव्यवहार करने के लिए अनुदेश जारी कर सकेगी जो उस समय निलम्बनाधीन हों या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही हो, जब किसी ऐसे पद पर की पदोन्नतियों पर विचार किया जा रहा हो जिसके लिए वे पात्र हैं या ऐसे निलंबन या ऐसी जांच या कार्यवाही के लम्बित रहने के सिवाय पात्र होते।

(17) इन नियमों के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस नियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

11. पदोन्नतियां छोड़ देने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति पर निर्बंधन.- यदि कोई व्यक्ति अगले उच्चतर पद पर या तो अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर नियमित आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने पर अपने लिखित अनुरोध द्वारा ऐसी नियुक्ति छोड़ देता है, और यदि संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी उसके अनुरोध को स्वीकार कर लेता है तो संबंधित व्यक्ति को, पश्चात्पूर्व दो भर्ती वर्षों के लिए, जिनके लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होती है, पदोन्नति हेतु (अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या नियमित आधार पर दोनों ही मामलों में) विचार करने के लिए विवर्जित किया जायेगा और ऐसे व्यक्ति का नाम, जो पदोन्नति छोड़ देता है, पश्चात्पूर्व दो भर्ती वर्षों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखी जाने वाली वरिष्ठता-सह-पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

भाग-5

नियुक्ति और वरिष्ठता

12. सेवा में नियुक्ति.- सेवा में के पद (पदों) पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, अधिष्ठायी रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के नियम 10 के अधीन चयनित अभ्यर्थियों में से की जायेगी।

13. अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति.- (1) सेवा में की ऐसी रिक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन पदोन्नति द्वारा तुरन्त नहीं भरा जा सकता हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के उपबंधों के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र किसी अधिकारी को स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त करके, भरा जा सकेगा:

परन्तु,-

- (i) ऐसी कोई नियुक्ति आयोग को उसकी सहमति के लिए, जहां ऐसी सहमति आवश्यक हो, निर्दिष्ट किये बिना एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए चालू नहीं रखी जायेगी और आयोग द्वारा सहमति देने से इनकार करने पर तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी।
- (ii) सेवा या सेवा में के ऐसे किसी पद के संबंध में, जिसके लिए भर्ती की दोनों रीतियां विहित हों, सरकार या, यथास्थिति, नियुक्ति करने के लिए सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी, राज्य सेवा के मामले में सरकार के कार्मिक विभाग और अन्य सेवाओं के संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभाग की विनिर्दिष्ट अनुमति के बिना, सीधी भर्ती के कोटे की किसी अस्थायी रिक्ति को पूर्णकालिक नियुक्ति द्वारा, उस स्थिति के सिवाय जबकि ऐसी अस्थायी रिक्ति अल्पकालिक विज्ञापन के पश्चात् तथा सीधी भर्ती के लिए पात्र व्यक्तियों में से भरी जाये, तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए नहीं भरेगा।
- (2) पदोन्नति के लिए पात्रता की अपेक्षाएं पूरी करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की दशा में, सरकार उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन पदोन्नति के लिए अपेक्षित पात्रता की शर्तें होने पर भी, वेतन और अन्य भत्तों के बारे में ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो वह निर्दिष्ट करे, अर्जेंट अस्थायी आधार पर रिक्तियां भरने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए सामान्य अनुदेश अधिकथित कर सकेगी। तथापि, ऐसी नियुक्तियां, उसी उक्त उप-नियम के अधीन यथा अपेक्षित, आयोग की सहमति के अध्यधीन होंगी।

14. वरिष्ठता.- सेवा में के संवर्ग में सम्मिलित पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् पद पर नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जायेगी। तदर्थ या अर्जेंट अस्थायी आधार पर नियुक्ति, नियमित चयन के पश्चात् की नियुक्ति नहीं समझी जायेगी:

परन्तु,-

- (i) यदि दो या अधिक व्यक्ति उसी वर्ष में सेवा में नियुक्त किये जाते हैं तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से रैंक में वरिष्ठ होगा।
- (ii) ऐसे चयन, जो पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के अध्यधीन न हो, के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त व्यक्ति, उन व्यक्तियों से रैंक में वरिष्ठ होंगे जो पश्चात्पूर्वी चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त किये गये हैं;
- (iii) एक ही चयन में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर और योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो उनसे अगले निम्नतर स्तर में है।
- (iv) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए पारिणामिक वरिष्ठता के साथ आरक्षण, रोस्टर बिन्दुओं के निःशेष होने और पदोन्नति की पर्याप्तता प्राप्त होने तक जारी रहेगा। एक बार रोस्टर बिन्दुओं के पूर्ण हो जाने पर, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए चिह्नित रिक्तियां जब कभी भी हों, पदोन्नति में इसके पश्चात् प्रतिस्थापन के सिद्धान्त का प्रयोग किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: “ पर्याप्त प्रतिनिधित्व ” से रोस्टर बिन्दु के अनुसार अनुसूचित जातियों का 16 प्रतिशत प्रतिनिधित्व और अनुसूचित जनजातियों का 12 प्रतिशत प्रतिनिधित्व अभिप्रेत है।

भाग-6

वेतन और भत्ते

15. वेतनमान.- सेवा में के किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति का वेतन मैट्रिक्स के लेवल में वेतन वह होगा, जो नियम 16 में निर्दिष्ट नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो या जो सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किया जाये।

16. **वेतन, छुट्टी, भत्ते, पेंशन, आदि का विनियमन.-** इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, सेवा के किसी सदस्य के वेतन, भत्ते, पेंशन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित द्वारा विनियमित होंगी,-

- (i) राजस्थान सेवा नियम, 1951, समय-समय पर यथा-संशोधित;
- (ii) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958, समय-समय पर यथा-संशोधित;
- (iii) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971, समय-समय पर यथा-संशोधित;
- (iv) राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971, समय-समय पर यथा-संशोधित;
- (v) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996, समय-समय पर यथा-संशोधित;
- (vi) राजस्थान सिविल सेवा (अंशदान) नियम, 2005, समय-समय पर यथा-संशोधित;
- (vii) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017, समय-समय पर यथा-संशोधित; और
- (viii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये अन्य कोई नियम जो सेवा की सामान्य शर्तें विहित करते हों और तत्समय प्रवृत्त हों।

17. **शंकाओं का निराकरण.-** यदि इन नियमों के लागू होने, निर्वचन और उनकी व्याप्ति के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो, कार्मिक विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।

18. **निरसन और व्यावृत्ति.-** इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों से संबंधित समस्त नियम और आदेश, जो इन नियमों का प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार अतिष्ठित नियमों और आदेशों के अधीन की गयी कोई भी कार्यवाई इन नियमों के उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

19. **नियमों के शिथिलीकरण की शक्ति.-** आपवादि क मामलों में जहां बोर्ड का यह समाधान हो जाये कि भर्ती के लिए आयु के बारे में या अनुभव की आवश्यकता के संबंध में किसी विशिष्ट मामले में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई होती है और उसकी यह राय हो कि किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कार्मिक विभाग (क-ग्रुप-2) की सहमति से, जहां आवश्यक हो, आदेश पारित करके इन नियमों के सुसंगत उपबंधों को, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो किसी मामले को न्यायोचित एवं साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक माने जायें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगा, परन्तु ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पहले से अंतर्विष्ट उपबंधों से कम अनुकूल नहीं होगा:

परन्तु इस नियम के अधीन विहित सेवा की कालावधि या अनुभव में शिथिलीकरण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के पूर्व किसी पद पर पदोन्नति के लिए विहित सेवा या अनुभव की केवल एक तिहाई कालावधि की सीमा तक ही मंजूर किया जायेगा।

परन्तु यह और कि जहां किसी पद पर पदोन्नति के लिए अनुभव की विहित कालावधि 6 वर्ष से कम है वहां प्रमुख सचिव, वित्त, प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग और प्रमुख सचिव/सचिव, प्रशासनिक विभाग से गठित मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति उन मामलों पर विचार करेगी जहां 45 प्रतिशत या उससे अधिक पद रिक्त हैं। समिति अनुभव में शिथिलीकरण की इतनी मात्रा सुझाने के लिए सशक्त होगी जो ऐसे मामलों में, पदोन्नति वाले पदों में रिक्तियों की बड़ी संख्या के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए, इस शर्त के अध्यधीन कि अनुभव में ऐसा शिथिलीकरण दो वर्ष से अधिक न हो, प्रदान की जायेगी।

अनुसूची

क्रं. सं.	पद का नाम	भर्ती की रीति प्रतिशत सहित	सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
प्रशासनिक विंग						
1.	उप सचिव (परीक्षा) उप सचिव/उप सचिव/परीक्षा का नियंत्रक	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा		1. सहायक सचिव 2. निजी सचिव	स्तंभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव	
2.	सहायक सचिव	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	-	अनुभाग अधिकारी	स्तंभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव	-
3.	अनुभाग अधिकारी	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	-	सहायक अनुभाग अधिकारी	स्तंभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 2 वर्ष का अनुभव	-

निजी विंग						
1.	निजी सचिव	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	-	अतिरिक्त निजी सचिव	स्तंभ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव	-

[सं. एफ.19(1)डीओपी/ए-II/2022]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,
दिनेश कुमार शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, October 17, 2025

G.S.R.89 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Gazetted Staff of the Rajasthan Staff Selection Board, namely:-

PART-I
GENERAL

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Staff Selection Board (Gazetted Staff) Service Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

- "**Appointing Authority**" means the Secretary to the Board;
- "**Board**" means the Rajasthan Staff Selection Board;
- "**Commission**" means the Rajasthan Public Service Commission;
- "**Committee**" means the Committee referred to in rule 9;
- "**Government**" means the Government of Rajasthan;
- "**Member of the service**" means a person appointed to a post in the service on the basis of regular selection under the provisions of these rules or the rules or order superseded by these rules;
- "**Service**" means the Rajasthan Staff Selection Board Service;
- "**State**" means the State of Rajasthan;
- "**Schedule**" means the Schedule appended to these rules;

- (j) **"Service" or "Experience"** wherever prescribed in these rules as a condition for promotion from one Service to another or within the service from one category to another or to senior post(s), in the case of a person holding a lower post(s) eligible for promotion to higher post(s) shall include the period for which the person has continuously worked on such lower post(s) after regular selection in accordance with the provisions of the rules promulgated under the proviso to Article 309 of the Constitution of India.

Note: Absence during service e.g. training, leave and deputation etc. which are treated as "duty" under the Rajasthan Service Rules, 1951, shall also be counted as service for computing experience or service required for promotion;

- (k) **"Substantive appointment"** means an appointment made under the provisions of these rules to a substantive vacancy after due selection by any of the methods of recruitment prescribed under these rules and includes an appointment on probation or as a probationer followed by confirmation on the completion of the probationary period.

Note: Due selection by any method of recruitment prescribed under these rules shall include recruitment either on initial constitution of service or in accordance with the provisions of any rules promulgated under proviso to Article 309 of the Constitution of India, except urgent temporary appointment;

- (l) **"Secretary"** means the person appointed as such and includes a person performing for the time being the duties of the Secretary to the Board; and
- (m) **"Year"** means the financial year.

3. Interpretation.- Unless the context otherwise requires, the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. VIII of 1955) shall apply for the interpretation of these rules as it applies for the interpretation of a Rajasthan Act.

PART-II

CADRE

4. Composition and strength of the service.- (1) The nature of the posts included in the service shall be as specified in column number 2 of the Schedule.

(2) The strength of posts of the service shall be such as may be determined by the Government, from time to time:

Provided that the Government may,-

- (a) create any post, permanent or temporary, from time to time, as may be found necessary and may abolish or allow to lapse any such post in the like manner without thereby entitling any person to any compensation.
- (b) leave unfilled or hold in abeyance any post, permanent or temporary, from time to time, without thereby entitling any person to any compensation.

5. Constitution of the service.- The service shall consist of,-

- (a) all persons holding substantively the posts specified in the Schedule on the date of commencement of these rules; and
- (b) all persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules, except an urgent temporary appointment under rule 14.

PART-III

RECRUITMENT

6. Method of recruitment.- (1) Recruitment to the service after the commencement of these

rules shall be made by promotion in accordance with the procedure laid down in Part-IV of these rules.

(2) Notwithstanding anything contained in these rules, the recruitment, appointment, promotion, seniority and confirmation etc. of a person who joins the Army/Air Force/Navy during an Emergency shall be regulated by such orders and instructions as may be issued by the Government from time to time provided that these are regulated mutatis mutandis according to the instructions issued on the subject by the Government of India.

7. Reservation of vacancies for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.- (1) Reservation of vacancies for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be in accordance with the provisions of the Rajasthan Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Special Backward Classes and Economically Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2008 at the time of recruitment i.e. by direct recruitment or by promotion.

(2) The vacancies so reserved for promotion shall be filled in by seniority-cum merit and merit.

(3) In filling the vacancies so reserved the eligible candidate who are members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list prepared for direct recruitment by the Commission/Board/Appointing Authority, as the case may be and the Departmental Promotion Committee or the Appointing Authority, as the case may be, in the case of promotion, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(4) Appointment shall be made strictly in accordance with the rosters prescribed separately for direct recruitment and promotion.

(5) In the event of non-availability of the eligible and suitable candidates amongst the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be, for direct recruitment, in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be carried forward to the subsequent three recruitment years. After the expiry of three recruitment years, such carried forward vacancies shall be filled in accordance with the normal procedure:

Provided that if recruitment is not held in any recruitment year, such recruitment year shall not be counted for the purpose of this sub-rule.

Provided further that filling up of the vacancies in accordance with the normal procedure under this sub-rule shall not affect the reservation of posts as per the post based roster and vacancies on the reserved posts available in the roster may be filled in from amongst the persons belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, for which such vacancy is available in subsequent years.

(6) In the event of non-availability of the eligible and suitable candidates for promotion amongst the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be, in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be carried forward until the suitable Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidate(s), as the case may be, are available. In any circumstances no vacancy reserved for Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates shall be filled by promotion from General category candidates. In exceptional cases, where in the public interest the Appointing Authority feels that it is necessary to fill up the vacant reserved post(s) by promotion from the General category candidates on urgent temporary basis, the Appointing Authority may make a reference to the Department of Personnel and after obtaining prior approval of the Department of Personnel, they may fill up such post(s) by promoting the General category candidate(s) on urgent temporary basis clearly stating in the promotion order that the General category candidate(s) who are being promoted on urgent temporary basis against the vacant post reserved for Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates, as the case may be, shall have to vacate the post as and when the candidate(s) of the category become available:

Provided that there shall be no carry forward of the vacancies in posts or class/category/group

of posts in any cadre of Service to which promotions are made on the basis of merit alone, under these rules.

8. Determination of vacancies.- (1) Subject to the provisions of these rules, the Appointing Authority shall determine as on 1st April every year, the actual number of vacancies occurring during the financial year.

(2) The Board shall also determine the vacancies of earlier years, year wise which were required to be filled in by promotion, if such vacancies were not determined and filled earlier in the year in which they were required to be filled in.

PART-IV

PROCEDURE FOR RECRUITMENT BY PROMOTION

9. Constitution of the Departmental Promotion Committee.- The constitution of the Committee shall be as under:-

(i)	Chairman of the Commission or a member there of nominated by him.	Chairman
(ii)	Principal Secretary to the Government in the Department of Personnel or his representative not below the rank of Deputy Secretary to the Government in the Department of Personnel	Member
(iii)	Secretary to the Board	Member Secretary

Provided that in case any officer constituting the Committee has not been appointed to the post concerned, the officer holding the charge of the post for the time being shall be the Member or Member-Secretary, as the case may be, of the Committee.

10. Criteria, eligibility and procedure for promotion.- (1) As soon as the Appointing Authority determines the number of vacancies under rule 8 of these rules and decides that a certain number of posts are required to be filled in by promotion, it shall subject to the provisions of sub-rule (6), prepare a correct and complete list of the senior most persons who are eligible and qualified under these rules for promotion on the basis of seniority cum merit or on the basis of merit to the class of posts concerned.

(2) The persons enumerated in column relevant column regarding post from which promotion is to be made, of the relevant Schedule shall be eligible for promotion to post (s) specified against them in column number 2 thereof to the extent indicated in column number 3 subject to their possessing minimum qualification and experience, on the first day of the month of April of the year of section as specified in column regarding minimum qualification and experience for promotion.

(3) No person shall be considered for first promotion in the service unless he/she is regularly selected on the post from which promotion is to be made in accordance with one of the methods of recruitment prescribed under the provisions of these rules.

Explanation: In case direct recruitment to the post(s) has been made earlier than regular selection by promotion in a particular year, such of the persons who are or were eligible for appointment to that post by both the methods of recruitment and have been appointed by direct recruitment first, shall also be considered for promotion.

(4) Any person who has more than two children on or after 1st June, 2002 and his promotion becomes due shall be considered for promotion from the date on which his/ her promotion becomes due and his/her pay shall be fixed for the promotional post, but he /she shall be entitled for annual increment notionally for three subsequent years and after such three years he/she shall be allowed actual benefits of such increments, however no arrears shall be paid for

such notional increments. There shall be no consequential effect on subsequent promotions of the person promoted as per the provisions of this sub-rule:

Provided that,-

- (i) the person having more than two children shall not be deemed to be disqualified for promotion so long as the number of children he/she has on 1 June, 2002. does not increase.
- (ii) where a person has only one child from the earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.
- (iii) while counting the total number of children of a candidate. the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.
- (iv) any person who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for promotion under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

(5) Selection for promotion on the post(s) included in the service shall be made on the basis of seniority-cum-merit:

Provided that,-

- (i) the post of Deputy Secretary (Exam)/ Deputy Secretary/Controller of Examination shall be filled in by promotion from amongst Assistant Secretaries and Private Secretaries in proportion of 3:1.
- (ii) the separate seniority list of Assistant Secretaries and Private Secretaries shall be maintained for the purpose of promotion to the post of Deputy Secretaries.
- (iii) promotion on the highest post in the State Service, if it is at least third promotion, shall be made on the basis of merit alone.
- (iv) if the Committee is satisfied that suitable persons are not available for selection by promotion to the highest post(s) strictly on the basis of merit in a particular year, selection by promotion to the post(s) on the basis of seniority-cum-merit may be made in the same manner as specified in these rules.

(6) The zone of consideration of persons eligible for promotion shall be as under:-

- | | |
|----------------------------------|---|
| (i) Number of vacancies | Number of eligible persons to be considered |
| (a) for one vacancy | five eligible persons |
| (b) for two vacancies | eight eligible persons. |
| (c) for three vacancies | ten eligible persons. |
| (d) for four vacancies and above | three times the number of vacancies. |
- (ii) Where the number of eligible persons for promotion to higher post is less than the number specified above all the persons so eligible shall be considered.
 - (iii) Where adequate number of the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, are not available within the Zone of consideration specified above, the zone of consideration may be extended up to seven times the number of vacancies and the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be (and not any other), coming within the extended zone or consideration shall also be considered against the vacancies reserved for them.

- (iv) For any post in the service, except otherwise provided in these rules or Schedule appended to these rules,-
- (a) if promotion is from more than one categories of posts in the same level in pay matrix, eligible persons up to two in number from each category of posts in the same level in pay matrix shall be considered for promotion.
 - (b) if promotion is from more than one categories of posts carrying different level in pay matrix, eligible persons in the higher level in pay matrix shall be considered for promotion first and if no suitable persons is available for promotion on the basis of merit or seniority cum merit as the case may be, in the higher level in pay matrix then only the eligible persons of other categories of posts in lower level in pay matrix shall be considered for promotion and so on and so forth. The zone of consideration for eligibility in this case shall be limited to five senior most eligible persons in all.
- (7) Except as otherwise expressly provided in this rule, the conditions of eligibility for promotion, constitution of the Committee and procedure for selection shall be the same as prescribed elsewhere in these rules.
- (8) The Committee shall consider the cases of all the senior most persons who are eligible and qualified for promotion to the class of post(s) concerned under these rules and shall prepare a list containing names of the persons found suitable on the basis of seniority-cum-merit or on the basis of merit, as the case may be, as per the criteria for promotion laid down in these rules, equal to the number of vacancies determined under these rules. The list so prepared on the basis of seniority-cum-merit and/or on the basis of merit, as the case may be, shall be arranged in the order of seniority in the category of post(s) from which selection is made.
- (9) The Committee may also prepare a list on the basis of seniority-cum-merit or on the basis of merit, as the case may be, as per the criteria for promotion laid down in these rules containing names of persons not exceeding the number of persons selected in the list prepared under sub-rule (8) above to fill temporary or permanent vacancies which may occur subsequently. The list so prepared on the basis of seniority-cum-merit or on the basis of merit, as the case may be, shall be arranged in the order of seniority in the category of post from which selection is made. Such a list shall be reviewed and revised by the Committee that meets in the subsequent year and that such list shall remain in force till the end of the last day of the year for which the meeting of the Committee is held.
- (10) Lists prepared under sub-rule (8) and (9) shall be sent to the Appointing Authority together with Annual Performance Appraisal Reports/ Annual Confidential Reports and other service records of all the candidates included in the lists as also of those not selected, if any
- Explanation:** For the purpose of selection for promotion on the basis of merit, no person shall be selected if he/she does not have "Outstanding" or "Very Good" records of at least four out of seven years preceding the year for which the meeting of the Committee is held.
- (11) If in any subsequent year, after promulgation of these rules, vacancies relating to any earlier year are determined under these rules which were required to be filled in by promotion, the Committee shall consider the cases of all such persons who would have been eligible in the year to which the vacancies relate irrespective of the year in which the meeting of the Committee is held and such promotion shall be governed by the criteria and procedure for promotion as was applicable in the particular year to which the vacancies relate and the service/experience of an incumbent who has been so promoted, for promotion to higher post for any period during which he/she has not

actually performed the duties of the post to which he/she would have been promoted, shall be counted. The pay of a person who has been so promoted shall be re-fixed at the pay which he would have derived at the time of his/her promotion but no arrears of pay shall be allowed to him/her.

(12) The Government or the Appointing Authority, as the case may be, may order for the review of the proceedings of the Committee held earlier on account of some mistake or error apparent on the face of records, or on account of a factual error substantially affecting the decision of the Committee or for any other sufficient reasons e.g. change in seniority, wrong determination of vacancies, judgment/direction of any Court or Tribunal, or where adverse entries in the Confidential Reports of an individual are expunged or toned down or a punishment inflicted on him/her is set aside or reduced. The concurrence of the Department of Personnel and the Commission (where Commission is associated) shall always be obtained before holding the meeting of the review Committee.

(13) Where consultation with the Commission is necessary, the lists prepared by the Committee shall be forwarded to the Commission by the Appointing Authority along with the Personal Files and Annual Confidential Rolls/Annual Performance Appraisal Reports of all the persons whose names have been considered by the Committee.

(14) The Commission shall consider the lists prepared by the committee along with other relevant documents received from the Appointing Authority and unless any change is considered necessary shall approve the lists. In case the Commission considers it necessary to make any change in the lists received from the Appointing Authority, it shall inform the Appointing Authority of the changes proposed by it. After taking into account the comments of the Commission, if any, the Appointing Authority may approve the lists finally with such modification as may, in its opinion, be just and proper and when the Appointing Authority is an authority subordinate to the Government, the lists approved by the Commission shall be disturbed only with the approval of the Government.

(15) The Appointments shall be made by the Appointing Authority taking persons out of the lists finally approved under preceding sub-rule (14) in the order in which they have been placed in the lists, till such lists are exhausted or reviewed and revised or remain in force, as the case may be.

(16) The Government may issue instructions for provisionally dealing with promotions, appointments or other ancillary matters in an equitable and fair manner of persons who may be under suspension or against whom departmental proceedings is under progress, at the time of promotion are considered to a post to which they are eligible or would have been eligible but for such suspension or pendency of such enquiry or proceedings.

(17) The provisions of this rule shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any provision of these rules.

11. Restriction of promotion of persons foregoing promotions.- In case a person on his appointment by promotion to the next higher post either on the basis of urgent temporary appointment or on regular basis on the recommendation of the Departmental Promotion Committee, forgoes such an appointment through his written request and if the concerned Appointing Authority accepts his/her request, the person concerned shall be debarred from consideration for promotion (both on the basis of urgent, temporary appointment or on regular basis) for subsequent two recruitment years for which the Departmental Promotion Committee is held and the name of such person who forgoes promotion shall not be included in seniority-cum-eligibility list to be placed before the Departmental Promotion Committee for subsequent two recruitment years.

PART-V

APPOINTMENT AND SENIORITY

12. Appointments to the service.- Appointment to post(s) in the Service by promotion shall be made by the Appointing Authority on occurrence of substantive vacancies from the persons selected under rule 10 of these rules.

13. Urgent temporary appointment.- (1) A vacancy in the Service which cannot be filled in immediately by promotion under these rules, may be filled in by the Appointing Authority, by appointing in an officiating capacity there to an officer eligible for appointment to the posts by promotion under the provisions of these rules:

Provided that,-

- (i) such an appointment shall not be continued beyond a period of one year without referring the case to the Commission for concurrence, where such concurrence is necessary and shall be terminated immediately on its refusal to concur.
- (ii) in respect of the service or a post in the service for which both the methods of recruitment have been prescribed, the Government or the Appointing Authority, as the case may be, competent to make appointment, shall not, save with the specific permission of the Government in the Department of Personnel in the case of State Services and Government in the Administrative Department concerned in respect of other services, fill the temporary vacancy against the direct recruitment quota by a whole-time appointment for a period exceeding three months, other-wise than out of persons eligible for direct recruitment and after a short-term advertisement.

(2) In the event of non-availability of suitable persons fulfilling the requirements of eligibility for promotion, the Government may, notwithstanding the condition of eligibility of promotion required under sub-rule (1) above, lay down general instructions for grant of permission to fill the vacancies on urgent temporary basis subject to such conditions and restrictions regarding pay and other allowances as it may direct. Such appointments shall however be subject to concurrence of the Commission as required under the same said sub-rule.

14. Seniority.- Seniority of persons appointed to the post encadred in the service shall be determined from the date of appointment on the post after regular selection in accordance with the provisions of these rules. Appointment on adhoc or urgent temporary basis shall not be deemed to be appointment after regular selection:

Provided that,-

- (i) if two or more persons are appointed to the service in the same year, a person appointed by promotion shall rank senior to a person appointed by direct recruitment.
- (ii) the persons selected and appointed as a result of a selection, which is not subject to review and revision, shall rank senior to the persons who are selected and appointed as a result of subsequent selection.
- (iii) seniority inter-se of persons selected on the basis of seniority cum merit and on the basis of merit in the same selection shall be the same as in the next lower level.
- (iv) reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees, with consequential seniority shall continue till the roster points are exhausted and adequacy of promotion is achieved. Once the roster points are complete the theory of replacement shall thereafter be exercised in promotion whenever vacancies earmarked for Scheduled Castes/Scheduled Tribes employees occur.

Explanation: Adequate representation means 16% representation of the Scheduled Castes and 12% representation of the Scheduled Tribes in accordance with the roster point.

PART-VI

PAY AND ALLOWNCES

15. Scale of pay.- The pay in the level of Pay Matrix of a person appointed to a post in the service shall be such as may be admissible under the rules referred to in rule 16 or as may be sanctioned by the Government from time to time.

16. Regulations of Pay, Leave, Allowances, Pension etc.- Except as provided in these rules, the pay allowances, pension, leave and other conditions of service of a member of the service shall be regulated by the,-

- (i) Rajasthan Service Rules, 1951, as amended from time to time;
- (ii) Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958, as amended from time to time;
- (iii) Rajasthan Travelling Allowance Rules, 1971, as amended from time to time.
- (iv) Rajasthan Civil Services (Conduct) Rules, 1971, as amended from time to time.
- (v) Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, as amended from time to time;
- (vi) Rajasthan Civil Services (Contribution) Rules, 2005, as amended from time to time;
- (vii) Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017, as amended from time to time; and
- (viii) Any other rules prescribing general conditions of service made by the appropriate authority under the proviso to Article 309 of the Constitution of India, and for the time being in force.

17. Removal of doubts.- If any doubt arises relating to the application, interpretation and scope of these rules, the decision of the Department of Personnel shall be final.

18. Repeal and savings.- All rules and orders in relation to matters covered by these rules in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed:

Provided that any action taken under the rules and orders so superseded shall be deemed to have been taken under the provisions of these rules.

19. Power to relax rules.- In exceptional cases where Board is satisfied that operation of the rules relating to age or regarding requirement of experience for recruitment causes undue hardship in any particular case and is of the opinion that it is necessary or expedient to relax any of the provisions of these rules with respect to age or experience of any person, it may with the concurrence of the Department of Personnel (A-Gr. II), by orders dispense with or relax the relevant provisions of these rules to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner, provided that such relaxation shall not be less favorable than the provisions already contained in these rules:

Provided that relaxation in the prescribed period of service or experience under this rule shall only be granted to the extent of 1/3 period of the service or experience prescribed for promotion to any post before holding the meeting of the Departmental Promotion Committee.

Provided further that where the prescribed period of experience for promotion to any post is less than 6 years, a committee headed by the Chief Secretary comprising of Principal Secretary Finance, Principal Secretary/Secretary Department of Personnel and Principal Secretary/Secretary of the Administrative Department, may consider the cases where forty five percent or more posts are vacant. The committee is empowered to suggest the quantum of relaxation in experience which may be granted in such cases to address the issue of large number of vacancies in promotional posts subject to condition that such relaxation in experience shall not be more than two years.

SCHEDULE

S. No.	Name of the post	Method of recruitment with percentage	Minimum qualification and experience for direct recruitment	Post from which promotion is to be made	Minimum qualification and experience for promotion	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Administrative Wing						
1.	Deputy Secretary (Exam)/- Deputy Secretary/ Controller of Examination	100% by promotion	-	1. Assistant Secretary 2. Private Secretary	3 years' experience on the post mentioned in column number 5.	-
2.	Assistant Secretary	100% by promotion	-	Section Officer	3 years' experience on the post mentioned in column number 5.	-
3.	Section Officer	100% by promotion	-	Assistant Section Officer	2 years' experience on the post mentioned in column number 5.	-
Personal Wing						
1.	Private Secretary	100% by promotion	-	Additional Private Secretary	3 years' experience on the post mentioned in column number 5.	-

[No. F. 19(1)DOP/A-2/2022]

By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.